न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 60/2025/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 17.02.2025
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

हीरालाल आत्मज श्री कृष्ण कलाल, जाति कलाल, निवासी शिव नगर, लाखेरी, जिला बून्दी

...अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी लाड़पुरा, कोटा, राजस्थान

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री वीरेन्द्र कुमार राठौर, अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 18.07.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 61/2023 बउनवान हीरालाल बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2024 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उप वन सरंक्षक, वन मण्डल, कोटा द्वारा ग्राम नाका नयागांव अधीन वन खण्ड आंवली रोजड़ी के ग्राम नयागांव के खसरा सं0 118, 119 की 0.0016 है0 वन भूमि में अतिक्रमण की रिपोर्ट क्षेत्रीय वन अधिकारी लाड़पुरा के आधार पर 91 राजस्थान भू–राजस्व, अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वन भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 90/2023 दर्ज कर अपीलार्थी को 3000/– रूपये शास्ति आरोपित करते हुए प्रश्नगत आराजी से बेदखल किये जाने का आदेश दिनांक 27.09.2023 पारित किया गया।

2. विचारण न्यायालय उप वन सरंक्षक, वन मण्डल, कोटा के आदेश दिनांक 27.09.2023 के विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

के द्वारा प्रश्नगत भूमि वनभूमि होने से तथा प्रस्तुत अपील में कोई ठोस आधार नहीं होना वर्णित करते हुए दिनांक 16.07.2024 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई।

3. अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 16.07.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया गया कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इस आशय का नोटिस प्रेषित किया गया कि अपीलार्थी ने नाका नयागांव चैक पोस्ट अधीन वन खण्ड आंवली रोझड़ी के ग्राम नयागांव के खसरा नम्बर 118 व 119 की 0.0016 हैक्टेयर वनभूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बाडबंदी कर अतिक्रमण कर रखा हैं। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने वनपाल की रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय रूप से बेदखल करते हुए 3,000/– रूपये शास्ति/जुर्माना आरोपित कर दिनांक 27.09.2023 को निर्णय पारित किया। जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटा में अपील संख्या 61/2023 प्रस्तुत की थी, जो कि दिनांक 16.07.2024 को खारिज की गई। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय दिनांक 27.09.2023 एवं 16.07.2024 विधि, न्याय, संचिता व कानून के प्रावधान के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य हैं। अपीलार्थी अतिक्रमी नही हैं तथा जिस भूखण्ड पर अपीलार्थी काबिज हैं, उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत बोराबास में आबादी भूमि को दिनांक 16.11.1972 को महेन्द्र कुमार एवं मदनलाल को पृथक–पृथक 150 गुणा 200 वर्गफीट का चयन किया गया था। रेस्पोडेन्ट केवल जमाबन्दी के आधार पर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखल करना चाहता हैं, जबकि उक्त भूखण्ड दिनांक 16.11.1972 को ग्राम पंचायत बोराबास ने विक्रय किया हैं, जिसको पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत विक्रय का अधिकार था तथा उक्त वन अधिनियम के बाबत् माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त गोडावरमन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में यह निर्देश व आदेश पारित किया है कि वन अधिनियम दिनांक 25.10.1980 के पश्चात् प्रभावी माना जायेगा और उक्त अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व कोई भी भू–भाग सक्षम जिला कलक्टर, ग्राम पंचायत आदि के द्वारा आवंटित किया गया हो तो उन्हे उक्त अधिनियम के प्रभाव से पूर्व आवंटन व विक्रय करने का अधिकार था, उपरोक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज किया। उक्त सम्पत्ति नयागांव (बोराबास) में स्थित हैं, जो कुल – 60,000 वर्गफीट है (मुख्य मार्ग कोटा–रावतभाटा पर 400 फीट है तथा इस भूखण्ड की गहराई 150 फीट हैं, जो कि 150 गुणा 400 = 60,000 वर्गफीट हैं) जो कि कॉर्नर भूखण्ड हैं तथा आवासीय व वाणिज्यिक उपयोग के योग्य हैं। यह भूखण्ड ग्राम पंचायत बोराबास का था जिसे दो भागों में तत्कालीन सरपंच ने 150 गुणा 200 फीट गजेन्द्र कुमार संभरलाल व 150 गुणा 200 फीट मदनलाल मेवाडा को दिनांक 16.11.1972 को पंचायत बोराबास के जरिये

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

विक्रय किया गया था। गजेन्द्र संवरलाल ने अपनी उक्त भूमि 150 गुणा 200 फीट में से 150 गुणा 100 वर्गफुट जमीन श्री हीरालाल पुत्र श्री कृष्ण कलाल को (कुल 15000 वर्गफीट) जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.02.1983 से विक्रय की गई। गजेन्द्र संभरवाल ने अपनी शेष जमीन 150 गुणा 100 वर्गफीट = 15000 वर्गफीट जमीन धनराज पुत्र श्री मदनलाल मेवाड़ा को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 21.02.1983 को बेच दी। हीरालाल कलाल ने अपनी 150 गुणा 100 वर्गफीट = 15000 वर्गफीट जमीन दिनांक 22.05.1999 को जरिये इकरारनामा सुशील कुमार पुत्र मदनलाल मेवाड़ा को विक्रय कर दी। इस आराजी के विषय में न्यायालय सिविल न्यायाधीश, (दक्षिण) कोटा का निर्णय दिनांक 09.10.2017 भी पारित हुआ। जिसमें भू–स्वामी को उक्त भूखण्ड से बेदखल नहीं करने का आदेश पारित किया। यह आदेश भी भू–स्वामी के पक्ष का है। वर्तमान उक्त 60,000 वर्गफीट में से 30000 वर्गफीट भूखण्ड मदनलाल मेवाड़ा का तथा 15000 वर्गफीट भूखण्ड धनराज मेवाडा का 15000 वर्गफीट भूखण्ड सुशील मेवाड़ा का हैं। मदनलाल मेवाड़ा की मृत्यु हो चुकी हैं तथा धनराज मेवाड़ा व सुशील मेवाड़ा मदनलाल मेवाड़ा के पुत्र है। इस प्रकार मदनलाल मेवाडा का 30000 वर्गफीट भूखण्ड भी धनराज मेवाड़ा व सुशील मेवाड़ा का अधिकार निहित है। वर्तमान स्थिति में 60,000 वर्गफीट भूखण्ड के निर्विवाद रूप से व कानूनी रूप से दोनो भाई धनराज मेवाड़ा व सुशील मेवाड़ा पूर्ण स्वामी है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलार्थी को अत्तिकमी मानते हुये उक्त आदेश पारित किया जबकि अपीलार्थी अतिक्रमी नही हैं और ना ही रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त हैं, क्योकि उक्त अधिनियम दिनांक 25.10.1980 को प्रभावी हुआ हैं तथा उक्त भूमि का आवंटन 1972 का हैं। माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में यह स्पष्ट कर रखा है कि वन विभाग के खाते की दर्ज भूमि दिनांक 25.10.1980 से सरकार एवं विधिक राजकीय संस्था के द्वारा आवंटित करने पर इन्तकाल के आधार पर दर्ज भूमि पर रेस्पोंडेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नही होता है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर कोटा ने भी केवल यही आधार माना है कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त उक्त भूमि वनभूमि में दर्ज हैं, जबकि अपीलार्थी के उक्त भूखण्ड के आस–पास घनी आबादी विकसित हो चुकी हैं और ग्राम पंचायत के द्वारा दिनांक 25.10.1980 से पहले पट्टा जारी किया गया है तथा नगर विकास न्यास, कोटा ने भी उक्त क्षेत्र में नाली, पटान, रोड़, बिजली आदि की व्यवस्था कर रखी है। अतः अपील अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अपास्त फरमाया जावें।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया जाकर वनपाल की रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय रूप से बेदखल करते हुए 3,000/– रूपये शास्ति जुर्माना आरोपित कर दिनांक 27.09.2023 को निर्णय पारित किया। अपीलार्थी अतिक्रमी नही हैं तथा जिस भूखण्ड पर अपीलार्थी काबिज हैं, उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत बोराबास में आबादी भूमि को दिनांक 16.11.1972 को महेन्द्र कुमार एवं मदनलाल को पृथक–पृथक 150 गुणा 200 वर्गफीट का चयन किया गया था। रेस्पोडेन्ट केवल जमाबन्दी के आधार पर अपीलार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखल करना चाहता हैं, जबकि उक्त भूखण्ड दिनांक 16.11.1972 को ग्राम पंचायत बोराबास के द्वारा विक्रय किया गया हैं, जिसको पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत विक्रय का अधिकार था तथा उक्त वन अधिनियम के बाबत् माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त गोडावरमन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में यह निर्देश व आदेश पारित किया है कि वन अधिनियम दिनांक 25.10.1980 के पश्चात् प्रभावी माना जायेगा और उक्त अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व कोई भी भू–भाग सक्षम जिला कलक्टर, ग्राम पंचायत आदि के द्वारा आवंटित किया गया हो तो उन्हे उक्त अधिनियम के प्रभाव से पूर्व आवंटन व विक्रय करने का अधिकार था उपरोक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज किया। वादग्रस्त भूखण्ड ग्राम पंचायत बोराबास का था, जिसे दो भागों में तत्कालीन सरपंच ने 150 गुणा 200 फीट गजेन्द्र कुमार संभरलाल व 150 गुणा 200 फीट मदनलाल मेवाडा को दिनांक 16.11.1972 को पंचायत बोराबास के जरिये विक्रय किया गया था। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट को उक्त भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं, क्योकि उक्त अधिनियम दिनांक 25.10.1980 को प्रभावी हुआ हैं तथा उक्त भूमि का आवंटन 1972 का हैं, माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत में यह स्पष्ट कर रखा है कि वन विभाग के खाते की दर्ज भूमि दिनांक 25.10.1980 से सरकार एवं विधिक राजकीय संस्था के द्वारा आवंटित करने पर इन्तकाल के आधार पर दर्ज भूमि पर रेस्पोडेन्ट को कोई अधिकार उत्पन्न नही होता है। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर ने भी केवल यही आधार माना है कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त उक्त भूमि वनभूमि में दर्ज हैं, जबकि अपीलार्थी के उक्त भूखण्ड के आस–पास घनी आबादी विकसित हो चुकी हैं और ग्राम पंचायत के द्वारा दिनांक 25.10.1980 से पहले पट्टा जारी किया गया है तथा नगर विकास न्यास, कोटा ने भी उक्त क्षेत्र में नाली, पटान, रोड़, बिजली आदि की व्यवस्था कर रखी है। इस प्रकार यदि तत्समय ग्राम पंचायत के द्वारा भूमि विक्रय की जा चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि वन भूमि नहीं मानी जावेगी। प्रश्नगत आराजी रिकोर्ड में सिवायचक दर्ज है। अतः अपील अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय

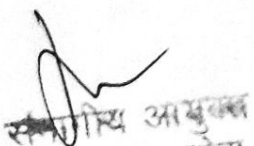

अपास्त फरमाया जावें। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत SCI Writ Pet. No. 202/1995 Decision Dt. 03-07-2018 पेश किये।

6. रेस्पो0 क्षेत्रीय वन अधिकारी लाड़पुरा, कोटा द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में लिखित बहस पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय विधि सम्मत तथा कानून के अनुरूप हैं।। पंचायत को वनभूमि पर पट्टे देने का अधिकार नहीं है, वे केन्द्रीय वन अधिनियम पर राज्य के अधिनियम (पंचायत अधिनियम) प्रभावी नहीं हैं। वन सम्पत्ति वन भूमि को क्रय–विक्रय करने का पट्टे देने का उपयोग उपभोग करने का किसी को अधिकार प्राप्त नहीं हैं। जो भी विक्रय दस्तावेज बने हैं, वन अधिनियम के प्रावधानों के विपरित है, प्रभाव शून्य है तथा अवैध है। नगर विकास न्यास को वनभूमि से कोई सरोकार नहीं है। किसी भी न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अतिक्रमी के पक्ष में अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित नहीं की गयी हैं। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति या संस्थान वन भूमि का स्वामी नहीं हो सकता, ना ही वन भूमि को केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना गैर वानकी कार्य में उपयोग कर सकता है, ना ही हस्तान्तरित कर सकता हैं। प्रथम न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वन संरक्षक वन मण्डल, कोटा द्वारा अपीलार्थी/अतिक्रमी को बेदखल करने के लिए नोटिस प्रेषित किये गये हैं, सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् ही निर्णय पारित किया गया हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान के अनुसार वन भूमि को केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना गैर वनकी कार्य में उपयोग–उपभोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिक सम्मत है, उक्त भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज फरमाया जावे।

7. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 क्षेत्रीय वन अधिकारी लाड़पुरा, कोटा द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वन संरक्षक, वनमण्डल, कोटा के समक्ष क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाड़पुरा कोटा के द्वारा दिनांक 21.07.2023 को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 रिपोर्ट पेश की गई कि हीरालाल पुत्र श्री किशनलाल जाति कलाल निवासी शिवनगर लाखेरी, जिला बून्दी के द्वारा ग्राम नयागांव उर्फ दौलतगंज के खसरा सं0 118, 119 आरक्षित आवंली रोजड़ी की 0.0016 है0 भूमि अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। यह वनखण्ड राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या 62/24.05. 1962 द्वारा आरक्षित हो चूकी है। अतः हीरालाल (अपीलार्थी) को बेदखल करने की कार्यवाही की जावे। उक्त रिपोर्ट के संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर

सम्भागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अपीलार्थी को धारा 91 एलआरएक्ट का नोटिस दिनांक 01.09.2023 को जारी कर दिनांक 12.09.2023 को उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया। उक्त नोटिस के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी को जरिये मोबाईल संपर्क करने पर वर्तमान में लाखेरी मे निवासरत होने पर तदनुसार तामील मानते हुए बाद तामील रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 27.09.2023 से निर्णय पारित करते हुए 3000/– शास्ति एवं बेदखल किये जाने की कार्यवाही की गई। इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी के रिपोर्ट में तत्समय लाखेरी में निवासरत होने का उल्लेख होने के उपरांत भी सीपीसी 1908 के प्रावधान के अन्तर्गत तामील हेतु निवास स्थान पर नोटिस जारी नहीं किया जाकर तामील पूर्ण माना जाना विधिवत तामील नहीं होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय दिनांक 27.09.2023 को अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिये बिना तथा साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही पारित किया जाना प्रकट होता है। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी के द्वारा न्यायालय उप वन सरंक्षक, वन मण्डल, कोटा के निर्णय दिनांक 27.09.2023 के विरूद्ध अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील के समर्थन में पर्याप्त एवं कोई ठोस आधार नहीं होना मानते हुए निर्णय दिनांक 16.07.2024 से अपील खारिज की गई है। इस संबंध में अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा की पत्रावली एवं निर्णय का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम पंचायत बोराबास के द्वारा जारी भूमि –विक्रय विलेख भूखण्ड 150 गुणा 200 फीट दिनांक 16.11.1972 को गजेन्द्र कुमार सभरवाल आत्मज बिहारी लाल को तथा भूखण्ड 150 गुणा 200 दिनांक 16.11.1972 को मदनलाल पुत्र बालूराम को विक्रय किया जाना प्रकट होता है। तत्पश्चात् गजेन्द्र संभरवाल के द्वारा उक्त भूखण्ड में से 150 गुणा 100 वर्गफीट (15000 वर्गफीट) जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 21.02.1983 से अपीलार्थी हीरालाल पुत्र कृष्ण कलाल को विक्रय किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार न्यायालय उप वन सरंक्षक, वन मण्डल, कोटा द्वारा ग्राम पंचायत, बोराबास के द्वारा दिनांक 16.11.1972 को जारी विक्रय विलेख के विरूद्ध प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी को दिवानी प्रकरण संख्या 298/2005 एवं 299/2005 का उल्लेख करते हुए दिनांक 27.07.2023 को प्रकरण दर्ज कर अन्तर्गत धारा 91 अन्तर्गत कार्यवाही की गई। प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के संबंध में ग्राम पंचायत, बोराबास के द्वारा जारी उक्त भूमि –विक्रय विलेख (पट्टा) के विरूद्ध न्यायालय उप वन सरंक्षक, वन मण्डल, कोटा के द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराजोही नहीं किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि –विक्रय विलेख (पट्टा) को सक्षम न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किये जाने से उक्त भूमि–विक्रय विलेख आजदिनांक तक बहाल होना प्रकट होता हैं। प्रकरण में अपीलार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न्यायालय सिविल न्यायाधीश (दक्षिण), कोटा के दिवानी वाद संख्या 303/2005 बउनवान मदनलाल मेवाड़ा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

जरिये का0मु0 धनराज वगैराह बनाम जे0सी0 मोहन्ति संभागीय आयुक्त, कोटा वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2017 का अवलोकन किया गया। उक्त वाद "बाबत् आदेशात्मक निषोधाज्ञा" के निर्णय में स्पष्ट रूप से विवेचन किया गया है कि "वन विभाग यह साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहा है कि उक्त विवादित भूखण्ड उसके स्वामित्व व कब्जाधीन कैसे हैं, जबकि वादी पूर्ण रूप से यह साबित करने में सफल रहा है कि उक्त विवादित भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत बोराबास द्वारा दिनांक 16.11.1972 को जारी किया गया था। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर विवादित भूखण्ड पर वादी अपना कब्जा साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है।"

8. उपरोक्त विवेचनानुसार प्रश्नगत प्रकरण में न्यायालय उप वन सरंक्षक, वन मण्डल, कोटा के द्वारा जो अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट की कार्यवाही दिनांक 21.07.2023 को की गई है, उसमें न्यायालय सिविल न्यायाधीश (दक्षिण), कोटा के दिवानी वाद संख्या 303/2005 बउनवान मदनलाल मेवाड़ा जरिये का0मु0 धनराज वगैराह बनाम जे.सी. मोहन्ती, संभागीय आयुक्त, कोटा वगैराह0 में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2017 का स्पष्ट रूप से अवलोकन नहीं किया जाना तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है, जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा भी उक्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किये बिना ही पत्रावली पर ठोस आधार नहीं होना मानते हुए अपील अपीलार्थी निर्णय दिनांक 16.07.2024 से खारिज की गई, जिसे विधिसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप वन सरंक्षक, वन मण्डल, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.09.2023 एवं न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा द्वारा प्रकरण सं0 61/2023 बउनवान हीरालाल बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2024 अपास्त किये जाते हैं। रेस्पोडेण्ट (क्षेत्रीय वन अधिकारी लाड़पुरा, कोटा) सक्षम न्यायालय में चाराजोही किये जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा